भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3825
(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की समीक्षा

3825. श्री वरुण चौधरी:
डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लाभार्थियों को सहायता की मात्रा और आय मानदंड के लिए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को अंतिम बार कब संशोधित किया गया था;

(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि मुद्रास्फीति और बढ़ती जीवनयापन लागत के बावजूद, उक्त योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन में केंद्रीय अंशदान 2011 से 200 रुपये प्रति माह बना हुआ है और यदि हाँ, तो इसे संशोधित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस कार्यक्रम के अंतर्गत पेंशन की 200 रुपये प्रति माह राशि को बढ़ाकर 500 रुपये प्रति माह करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है, और

(घ) यदि हाँ, तो 2011 से 2024 तक वृद्धावस्था पेंशन के लिए एनएसएपी के अंतर्गत जारी धनराशि का राज्यवार और संघ राज्यक्षेत्रवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60-79 वर्ष आयु वर्ग के लिए सहायता दर वर्ष 2007 में 75 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दी गई थी। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्धों के लिए, पेंशन राशि वर्ष 2011 में 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये कर दी गई थी। इसके अतिरिक्त, एनएसएपी की विधवा पेंशन योजना और दिव्यांगता पेंशन योजना के अंतर्गत सहायता की दर को पिछली बार वर्ष 2012 में संशोधित कर 300 रुपये कर दिया गया था और 80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 500 रुपये प्रति माह की सहायता प्रदान की जाती है। एनएसएपी के राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना घटक के अंतर्गत सहायता वर्ष 2012 में 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी गई थी। एनएसएपी को पूरे देश में एक सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के रूप में कार्यान्वित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) जीवनयापन करने वाले समाज के कमजोर वर्गों जैसे वृद्धों, विधवाओं और दिव्यांगजनों को लाभ प्रदान करना है।

(ख) एनएसएपी की शुरुआत नागरिकों के सबसे कमज़ोर वर्ग को बुनियादी स्तर की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी। एनएसएपी के दिशानिर्देशों के अनुसार

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता के अलावा अतिरिक्त सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। वर्तमान में, राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र एनएसएपी की पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रति लाभार्थी 50 रुपये से लेकर 5700 रुपये प्रति माह तक की अतिरिक्त सहायता राशि प्रदान कर रहे हैं। परिणामस्वरूप, कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एनएसएपी पेंशनभोगियों को औसतन 1100 रुपये मासिक पेंशन मिल रही है। सरकार ने 15वें वित्त आयोग की समयावधि अर्थात वित्त वर्ष 2025-26 तक एनएसएपी को सहायता दर सहित उसके वर्तमान स्वरूप में जारी रखने का अनुमोदन दिया है।

(ग) और (घ) वर्तमान में, एनएसएपी के अंतर्गत शामिल की जाने वाली पेंशन की राशि में वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। एनएसएपी की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत 2011 से 2024 तक जारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निधि **अनुबंध** में दी गई है।

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की समीक्षा के संबंध में लोक सभा में दिनांक 12.08.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3825 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

अनुबंध

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) के अंतर्गत 2011 से 2024 तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी निधि

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जारी निधि (रुपये करोड़ में)													
		2011-12*	2012-13*	2013-14*	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25
1	आंध्र प्रदेश	409.49	675.63	628.62	215.70	150.09	276.08	184.05	184.05	195.18	186.77	141.55	194.75	253.72	229.01
2	बिहार	971.48	1012.17	1418.81	715.13	1090.65	577.78	825.54	852.27	948.89	1000.02	998.05	1059.14	1153.55	1085.59
3	छत्तीसगढ़	235.07	230.73	315.23	126.31	135.31	248.17	172.98	180.91	186.42	98.55	183.58	187.69	190.63	242.21
4	गोवा	1.29	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
5	गुजरात	89.98	132.46	136.08	49.49	68.33	183.90	134.14	147.64	173.64	173.64	130.23	217.05	183.06	183.49
6	हरियाणा	69.30	75.05	83.17	31.49	37.29	80.38	70.91	67.11	88.84	34.96	0.00	180.39	0.00	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	29.34	30.98	35.23	17.83	21.96	33.08	52.09	36.31	37.32	39.34	9.85	29.56	72.91	0.00
8	जम्मू और कश्मीर	23.72	28.21	41.74	30.48	30.62	41.25	42.43	43.72	21.92	22.88	35.07	19.26	73.13	31.61
9	झारखंड	277.28	182.16	336.18	109.19	232.93	243.49	252.16	248.19	202.64	206.38	327.09	270.16	196.36	238.39
10	कर्नाटक	397.83	456.49	400.14	204.34	203.86	349.40	292.54	295.33	295.97	300.73	291.52	243.66	303.75	68.31
11	केरल	85.94	91.64	161.03	29.26	76.41	66.66	128.83	199.97	68.49	175.96	0.00	0	366.66	78.64
12	मध्य प्रदेश	539.73	543.51	801.38	272.65	499.90	460.18	460.18	460.18	304.31	465.46	392.16	663.28	578.58	622.81
13	महाराष्ट्र	205.06	438.66	0.00	192.07	215.47	149.27	412.83	316.91	307.01	305.48	241.31	135.68	0.00	483.42
14	ओडिशा	510.86	743.05	729.26	314.54	513.27	395.40	408.42	408.42	421.56	351.85	417.15	412.31	406.55	304.20
15	पंजाब	44.14	57.63	50.55	32.88	40.99	30.03	0.00	20.20	32.86	36.03	8.47	0	9.35	17.82
16	राजस्थान	255.38	255.13	340.08	119.09	161.02	163.23	352.19	242.66	249.76	251.48	65.86	443.91	211.41	399.86
17	तमिलनाडु	319.09	573.50	609.37	165.08	415.18	360.15	360.15	360.15	350.23	201.26	589.85	305.96	427.97	413.65
18	तेलंगाना	0.00	0.00	0.00	83.00	107.27	197.31	131.54	131.54	69.70	213.17	71.74	144.89	112.23	0.00
19	उत्तर प्रदेश	1316.79	1110.27	1647.11	745.08	708.03	1136.80	1156.74	876.29	1230.55	1247.08	1272.82	1473.63	1257.23	1425.52
20	उत्तराखंड	75.78	79.05	108.83	36.74	47.79	71.09	63.44	67.66	41.25	98.76	48.42	105.98	77.79	97.56
21	पश्चिम बंगाल	475.05	781.65	898.08	423.82	432.10	563.39	352.63	323.15	560.93	367.05	240.96	381.44	567.02	460.52
22	अरुणाचल प्रदेश	5.04	11.39	7.92	6.12	1.54	4.26	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	0	8.34	0.00
23	असम	112.08	225.04	161.88	143.20	238.67	133.52	115.22	190.94	241.55	253.80	247.60	254.44	234.92	242.14
24	मणिपुर	18.94	10.44	25.19	13.93	8.14	8.42	25.27	8.14	16.22	25.92	4.29	22.39	13.28	18.82
25	मेघालय	14.86	10.62	21.75	9.96	18.03	14.34	13.34	13.42	10.92	17.19	8.69	17.92	18.23	18.27
26	मिजोरम	7.93	8.68	8.39	5.91	11.05	9.75	8.83	7.82	9.26	9.35	4.72	9.3	9.23	12.00
27	नागालैंड	10.28	10.49	16.39	11.06	12.60	18.61	9.66	21.29	18.09	18.47	14.16	19.38	15.34	26.60

28	सिक्किम	4.56	2.36	6.85	3.95	2.14	4.38	6.52	2.19	4.89	8.17	0.00	7.04	0.00	0.00
29	त्रिपुरा	39.78	44.92	57.14	43.16	41.22	41.22	38.39	20.52	56.37	9.85	22.98	25.31	37.26	45.35
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1.98	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0	0.00	0.00
31	चंडीगढ़	1.58	1.90	1.50	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन तथा दीव	2.70	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
33	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	37.09	44.55	54.59	25.56	34.08	34.08	34.08	34.08	40.00	23.04	34.10	0	0.00	93.55
34	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.95	0.00	3.03	0.00	4.61
35	लक्षद्वीप	0.22	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00
36	पुदुचेरी	6.82	8.73	9.98	3.98	5.31	5.31	5.31	5.31	8.64	8.22	4.18	0	0.00	0.00
	कुल	**6596.47**	**7884.35**	**9112.46**	**4180.98**	**5562.69**	**5900.92**	**6110.43**	**5775.83**	**6193.38**	**6152.61**	**5806.39**	**6827.55**	**6778.48**	**6843.92**
* एनएसएपी की सभी योजनाओं के लिए संयुक्त रूप से जारी की गई निधि।															

*****